न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2019(2019/00368)

[illegible]रतमल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम जूनिया तहसील केकड़ी जिला –अजमेर राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1.श्री हेमन्त जैन वकील– प्रार्थी
2. तहसीलदार केकड़ी –पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 09.07.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जूनियां की जमाबंदी संवत् 2073–2076 तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित हैः–

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
533	499	3687	0.46	चाही उत्तम
		3688	0.05	चाही उत्तम
		3686	0.05	गै.मु.चाह
		कुल किता 3	0.56	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबदी मे कोई रास्ता दर्ज नही है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 3686,3687,3688 प्रार्थी की है। जिसमे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 3672 रकबा 0.42 बारानी –3 मे से होकर आता है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। ना ही रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी काफी लम्बे समय से इसी खसरा नंबर 3672 मे वर्णित रास्ते मे से होकर अपने खेत मे आता जाता है रास्ता लगभग 30 फिट चौड़ा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी[illegible] जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यता अत्यधिक है अतः उक्त विद्यमान मार्ग [illegible] व रेकार्ड मे रास्ता के रूप मे अभिलेखित किया जाये " तथा इस [illegible] दर्ज करवाने हेतु तैयार है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] के जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार केकड़ी–पैरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। [illegible]सीलदार केकड़ी ने अपनी जॉच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू.अ./202[illegible]328 दिनांक 09.04.20[illegible] प्रस्तुत की है। प्रार्थी वर्तमान मे स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 3707 के पश्चात खसरा नंबर 3671 एवं

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:54:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
मोरत मल बनाम राज0सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
प्रकरण संख्या 46 / 2019(2019 / 00366)
अंतर्गत धारा 251 ए राज0काश्त0अधिनियम
आदेश दिनांक 09.07.2021

672 मे से राजस्व मानचित्र मे दर्शाये अनुसार आवागमन कर रहा है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 3707 मे उपलब्ध है। तथा इसी अनुसार रास्ता दिया जाना सुविधाजनक रहेगा। प्रस्तावित रास्ते हेतु सिवायचक खसरा संख्या 3671 मे से 60 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 3672 मे से 60 वर्गमीटर कुल 220 वर्गमीटर भूमि दी जानी है। सिवायचक भूमि मे से मार्ग प्रस्तावित किया गया है। डी0एल0सी0दर 151470/-रूपये प्रति हैक्टर की दुगनी दर से प्रतिकर राशि 6666/- रूपये बनती है। गणना मौका रिपोर्ट अनुसार लगायी गयी है।

तहसीलदार केकडी पैरोकार सरकार द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अ./2021/2328 दिनांक 09.04.2021 से जवाब व मौका पर्चा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम जूनिया की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या नया-पुराना 533-499 खसरा नंबर 3687 रकबा 0.46 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3688रकबा 0.05 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3686रकबा 0.05 गै0 मु0चाह, भू अभिलेख निरीक्षक जूनिया द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे अंकित नजरी नक्शा अनुसार वादी अपनी खातेदारी भूमि मे आने हेतु राजस्व रेकार्ड/राजस्व मानचित्र मे दर्ज खसरा नंबर 3671,3672 मे से संलग्न नजरी नक्शें मे अंकितानुसार आवागमन कर रहे है। प्रार्थी के खेत मे निकटतम दूरी पर वर्तमान मे स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 3707 के पश्चात खसरा नंबर 3671 व 3672 स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास गुजरने वाले स्वीकृत रास्ते मे से सुविधाजनक रास्ते का उल्लेख किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को मौके पर उपलब्ध वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित है। जमाबंदी की नकल संलग्न की हैं। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम जूनिया जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या नया-पुराना 533-499 खसरा नंबर 3687 रकबा 0.46 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3688रकबा 0.05 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3686रकबा 0.05 गै0 मु0चाह मे जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 3672 रकबा 0.42 है0 बारानी-3 मे से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावे।तहसीलदार केकडी पैरोकार सरकार द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अ./2021/2328 दिनांक 09.04.2021 से जवाब व मौका पर्चा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम जूनिया की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या नया-पुराना 533-499 खसरा नंबर 3687 रकबा 0.46 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3688रकबा 0.05 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3686रकबा 0.05 गै0 मु0चाह, भू अभिलेख निरीक्षक जूनिया द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे अंकित नजरी नक्शा अनुसार वादी अपनी खातेदारी भूमि मे आने हेतु राजस्व रेकार्ड/राजस्व मानचित्र मे दर्ज खसरा नंबर 3671,3672 मे से संलग्न नजरी नक्शें मे अंकितानुसार आवागमन कर रहे है। प्रार्थी के खेत मे निकटतम दूरी पर वर्तमान मे स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 3707 के पश्चात खसरा नंबर 3671 व 3672 स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास गुजरने वाले स्वीकृत रास्ते मे से सुविधाजनक रास्ते का उल्लेख किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को मौके पर उपलब्ध वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित है।

मैने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी [illegible] जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या के खाता संख्या नया-पुराना 533-499 खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.46 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3688रकबा 0.05 चाही उत्तम,खसरा नंबर 3686रकबा [illegible] गै0 मु0चाह, खसरा नंबर 3671,3672 मे से रास्ता दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत [illegible] किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः तहसीलदार केकड़ी प्रार्थी के खेत मे निकटतम दूरी पर वर्तमान मे स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:54:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
नौरत मल बनाम राज0सरकार जरिये तहसीलदार केकडी
प्रकरण संख्या 46/2019(2019/00368)
अंतर्गत धारा 251 ए राज0काश्त0अधिनियम
आदेश दिनांक 09.07.2021

...ता खसरा नंबर 3707 के पश्चात खसरा नंबर 3671 व 3672 मे से राजस्व मानचित्र मे ...र्शाये अनुसार आवागमन कर रहा है,उक्त उल्लेखित रास्ते रिवायचक खसरा नंबर 3671 मे ... 160 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 3672 मे से 60 वर्गमीटर कुल 220 वर्गमीटर भूमि जिसकी ...एल0सी0 दर 151470/— रूपये प्रति हैक्टर की दुगनी दर से प्रतिकर राशि 6666:— रूपये ...नती है,प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर तहसीलदार केकड़ी उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड ... नक्शा ट्रेस मे गै.मु0 सार्वजनिक रास्ते के रूप मे अंकित/ तरमीम किया जावे। खर्चा ...रिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:54:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner